

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ जिला झुञ्जुनू

पीठासीन अधिकारी : स्वाति आर.टी.एस
मिसल नं.- 59/2023
सरकार बनाम रोताश, मोती, जीतू पुत्र श्री गोरीशंकर जाति
माली निवासी ढाणी डालमियान

किस्म मुकदमा-अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक: 04.09.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में सक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल रोताश, मोती, जीतू पुत्र श्री गोरीशंकर जाति माली निवासी ढाणी डालमियान तहसील सूरजगढ द्वारा रोही मौजा ढाणी डालमियां की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 81 के कुल रकबा 0.45 है गै. मु. सडक में से 0.008 है0 पर पक्का निर्माण एवं चार दीवारी करके अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद सुचना अनुपस्थित। अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिए जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 12 रूपए कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवायी जावे। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतू लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(स्वाति)

तहसीलदार, सूरजगढ

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं० पर
बर्ष 2023-24 में रूपये 121 कायम किए
राजस्व लेखाकार